न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/89/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/323

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

डॉ0 दीपचन्द गुप्ता,
पूर्व प्राचार्य
नि0 254, बसन्त विहार, स्कीम नं.3, अलवर–301001

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.07.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 16.08.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने **आवेदन–पत्र दिनांकः 04.06.2022** के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका/अपील के निर्णय के अध्यधीन निदेशालय पेंशन एवं पेंशन वैलफेयर राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांकः 45611–13ए/07.12.2021 की अनुपालना में संशोधित वेतन आयोग में पेंशन के स्थिरीकरण आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा अपील प्रा0पत्र दिनांकः 14.07.2022 इस न्यायालय को प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 04.06.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 1562 दिनांकः 22.06.2022 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर आक्षेप व्यक्त किया है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से अपील में आक्षेपित बिन्दुओं के क्रम में संबंधित कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए पत्र सं. 1921 दिनांकः 08.08.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 04.06.2022 में वांछित सूचना, प्रथम अपील दिनांकः 06.07.2022 में उठाये गये तथ्यों एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण** किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपील में आक्षेपित बिन्दु के अनुक्रम में संबंधित से सूचना प्राप्त कर (कोषाधिकारी, अलवर पत्र सं. 518 दिनांकः 05.08.2022) वांछित रिवाईज पी.पी.ओ. आदेश की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है व साथ ही मूल प्रति पेंशनर की पत्रावली में संलग्न कर अतिरिक्त कोषधिकारी, पेंशन को प्रेषित किए जाने बाबत उल्लेख किया है।
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 16.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)